


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 28 अप्रैल, 2018

संख्या-1/सी0-1010/2018-सा0प्र0-5609/श्री (मो0) नौशाद युसुफ, भा0प्र0से0(बी एच : 2005), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय (अतिरिक्त प्रभार- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय) को उनके आवेदन दिनांक 17.04.2018 के प्रसंग में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु निर्धारित तीन माह पूर्व सूचना की अवधि को क्षांत करते हुए वैयक्तिक कारणों से उन्हें अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16 (2) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


28.04.18
(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1/सी0-1010/2018-सा0प्र0-5609/पटना-15, दिनांक: 28 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना /भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/ सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


28.04.18
(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।